

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी-

मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

03 / 2022 / प्रा.पत्र / 2022

02.02.2022

17.02.2022

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

1-श्री जगदीश नारायण शर्मा पुत्र श्री श्रवण लाल शर्मा एफ.बी.ओ मैसर्स श्रवण मिष्ठान भण्डार
पटेल रोड निवाई जिला टोंक निवासी डी-197 इन्द्रा विस्तार कॉलोनी निवाई जिला टोंक
राज0

..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित-

- 1-प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
- 2-अप्रार्थीगण उपस्थित

:-निर्णय:-

दिनांक 17.02.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 01.11.2021 को समय 3.31 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स श्रवण मिष्ठान भण्डार पटेल रोड निवाई जिला टोंक के गोदाम काली का बाग निवाई पर पहुंचा। विक्रेता की हैसियत से श्री जगदीश नारायण शर्मा पुत्र श्री श्रवण लाल शर्मा एफ.बी.ओ मैसर्स श्रवण मिष्ठान भण्डार पटेल रोड निवाई जिला टोंक निवासी डी-197 इन्द्रा विस्तार कॉलोनी निवाई जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक. होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान के गोदाम मे मावा (Khoaya) रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री जगदीश नारायण शर्मा को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कर हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता जगदीश नारायण शर्मा गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक द्वारा दुकान के गोदाम में लोहे की 4 ट्रे में लगभग 8-9 किलोग्राम मावा (Khoya) रखे हुये में से एक लोहे की ट्रे का चयन कर में से 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉनिक तोलने की मशीन से तुलवाकर एक स्टील की ट्रे में रखकर का चयन कर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता श्री शिवराज अग्रवाल को ₹0 260/-अक्षरे दौ सौ साठ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।


आवेदक द्वारा खरीदशुदा मावा (Khoya) खरीदशुदा 1 किलोग्राम को बराबर-बराबर (एक भाग 250 ग्राम) अलग-अलग चार साफ व सूखी प्लास्टिक की शिशियों में भरकर प्रत्येक शिशी में बतोर परिरक्षित 40 प्रतिशत वाली फार्मेलिन की 20-20 बून्दे प्रत्येक शिशी में डालकर अच्छी तरह हिला-मिलाकर ढक्कन को एयर टाईट बंद कर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एवं चारों नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I-2971 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारों नमूना भागों को अलग-अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I-2971 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता जगदीश नारायण शर्मा के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवे। चारों नमूना भागों को अपने जापते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टॉक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2021/3296 दिनांक 09.12.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1708/एक्ट/2021/1596 दिनांक 25.11.2021 अनुसार जगदीश नारायण शर्मा से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया मावा (Khoya) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(i) (zx) के अनुसार अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया।




अतिरिक्त जिला माली
टॉक

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा अवमानक (Sub-Standard) स्तर का मावा (Khoya) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस मावा (Khoya) का विक्रय कर रहा था वह जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया मावा (Khoya) का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री जगदीश नारायण शर्मा पुत्र श्री श्रवण लाल शर्मा एफ.बी.ओ मैसर्स श्रवण मिष्ठान भण्डार पटेल रोड निवाई जिला टोंक निवासी डी-197 इन्द्रा विस्तार कॉलोनी निवाई जिला टोंक राज0 पर शास्ति 25,000 (अक्षरे पच्चीस हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 17.02.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



21/2-2-22
(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
टोंक
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0